न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (एस.डी.ओ) बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी-श्री यशार्थ शेखर, आई.ए.एस

क्रमांक रीडर/2025/ 9503 दिनांक - 05.12.25

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थीगण
1 राणामल पुत्र खेताराम जाति आचार्य निवासी आचार्यो का वास बाड़मेर तहसील व जिला बाड़मेर।		1 जोगसिंह पुत्र सुजानसिंह वगैराह जातियान पुरोहित निवासी महाबार तहसील व जिला बाड़मेर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128, 111 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, करने नेखमबन्दी बाबत

राजस्व आवेदन संख्या :- 682/2025 दिनांक- 28/11/25

आदेश

उपर्युक्त प्रकरण मौजा बाड़मेर गादान पटवार हल्का बाड़मेर गादान तहसील व जिला बाड़मेर के खेत खसरा संख्या 2143 रकबा 8.1665 हैक्टेयर भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार बाड़मेर को कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। उक्त नेखमबन्दी कार्यवाई करने से पूर्व प्रार्थी व अप्रार्थीगण को नोटिस/पत्र के जरिये सूचित करते हुए एक तिथि निश्चित (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमांकन व पत्थरगढी नही करने बाबत् राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक 04.08.1992 के मद्देनजर) कर पक्षकारान की उपस्थिति में नेखमबन्दी की जावे। कमीश्नर शुल्क रूपये 1500/- अक्षरे एक हजार पांच सौ रूपये मात्र निर्धारित की जाती है, जो प्रार्थी द्वारा मौके पर अदा किया जावेगा।

(यशार्थ शेखर)
उपखण्ड अधिकारी,
बाड़मेर

उपखण्ड अधिकारी
बाड़मेर

क्रमांक :- रीडर/2025/9504 - 9507 दिनांक- 05.12.25

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है :-

1. तहसीलदार बाड़मेर पालना प्रस्तुत करते वक्त पत्र पर निर्णय की तिथि अवश्य अंकित करें।
2. पटवारी बाड़मेर गादान तहसील बाड़मेर को भेजकर लेख है कि निर्धारित तिथि को मय रेकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबन्दी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थी राणाराम पुत्र खेताराम जाति आचार्य निवासी आचार्यो का वास बाडमेर तसहील व जिला बाडमेर।
4. विप्रार्थीगण जोगसिंह पुत्र सुजानसिंह वगैराह जातियान पुरोहित निवासी महाबार तहसील व जिला बाडमेर।

उपखण्ड अधिकारी,
बाड़मेर

उपखण्ड अधिकारी

Signature Not Verified

Digitally signed by Yasharth Shekhar
Date: 2025.12.10 10:08:56 IST
Reason: SelfAttested